20/6/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित
पत्रावली पर बहस सुनी गयी प्रार्थी के
अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र के तथ्यों को
दोहराया गया व मूल वाद के निस्तारण
तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने का
निवेदन किया। विपक्षी के अधिवक्ता ने
बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त प्रा. पत्र वर्णित
आराजीयात विपक्षी द्वारा विभागी से
क्रय की और प्रार्थी के नाम वर्तमान में
खातेदारी में भूमि दर्ज नहीं है। पत्रावली पर
मनन किया गया स्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.
पत्र चलने योग्य नहीं होने से दिनांक
21/6/21 को जारी T.I. निरस्त की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर वास्ते रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़